इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2020—भाद्र 27, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. ई-5-1022-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 1 से 14 जून 2020 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र. एफ 1(ए)11-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर को दिनांक 2 से 11 सितम्बर 2020 तक दस दिवस अर्जित

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

अवकाश एवं दिनांक 12 व 13 सितम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेकराज सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेकराज सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2020

क्र. एफ-1 (ए) 45-2020-ब-2-दो.—श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु. मु. भोपाल को संतान पालन हेतु दिनांक 21 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक कुल अठारह दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश (CCL) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती रसना ठाकुर, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. एफ 1(ए) 165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 3 सितम्बर 2020 तक, चार दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से आठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए)2006-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे-99, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 अगस्त से 9 सितम्बर 2020 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत गृह नगर मुरैना (म. प्र.) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ	—	स्वयं
2.	श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ	—	पत्नी
3.	श्री अमन कुलश्रेष्ठ	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक (विजिलेंस/प्रशासन), अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय) अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3/4 सितम्बर 2020

फा. क्र. 2351-2017-इक्कीस-ब-(एक) (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01).—राज्य शासन **सुश्री उजाला झा पुत्री श्री राजेन्द्र झा** को

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, वर्ष 2017 के लिये विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर काल्पनिक रूप से वरिष्ठता क्रम में श्री भूपेन्द्र यादव, वरिष्ठता क्रमांक 59 के नीचे रखते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है. काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से वास्तविक नियुक्ति के मध्य की अवधि तक के वेतन भत्ते व अन्य लाभ देय नहीं होंगे.

अभ्यर्थी का गृह जिला **गुना (मध्यप्रदेश)** है. उसकी **जन्मतिथि 31 मई 1992** है.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

फा. क्र. 2471-2020-इक्कीस-ब(एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया जिला छिन्दवाड़ा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर कदाचरण प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2019 पर फुल कोर्ट की बैठक दिनांक 11 मई 2019 तथा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 पर फुल कोर्ट की बैठक दिनांक 25 अगस्त 2020 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से हटाये जाने (Removal from Service) की अनुशंसा की है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया, जिला छिन्दवाड़ा को शास्तिस्वरूप सेवा से हटाया (Removal from Service) जाए.

अत: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1966 के नियम 10 (8) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया जिला छिन्दवाड़ा को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से (सेवा से हटाया) (Removal from Service) जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र. एफ-16-51-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि., सारनी, जिला-बैतूल मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 यूनिट-09 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 30 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ. 16-46-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स सनफार्मासियूटिकल इण्डस्ट्रीज लि., घिरोंगी, मालनपुर, जिला भिण्ड

मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक पीआई/3558 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 11 जुलाई 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ. 16-50-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि.,सारनी, जिला-बैतूल मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3410 यूनिट-07 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ-16-44-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि.,सारनी, जिला-बैतूल मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4977 यूनिट-11 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 28 अगस्त 2020 से 27 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन

बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

क्र. एफ 16-45-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि., दोगलिया, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5269 यूनिट-04 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 28 अगस्त 2020 से 27 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. विजय दत्ता, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020

क्र. एफ-3-49-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में अग्निशमन संबंधी प्रावधान बाबत् संशोधन संबंधी विभाग की सूचना पूर्व में क्रमांक एफ-3-30-2020-अठारह-5, दिनांक 13 अगस्त 2020 जो कि असाधारण राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुई है. इस बाबत् सूचना क्रमांक एफ-3-49-2020-अठारह-5, दिनांक 28 अगस्त 2020 असाधारण राजपत्र में दिनांक 1 सितम्बर 2020 को त्रुटिवश पुनः प्रकाशित हुई है.

अतः सूचना क्रमांक एफ 3-49-2020-अठारह-5, दिनांक 28 अगस्त 2020 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर 2020 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2020

)

क्रं.एफ–3–09/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–3735/वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्रकाशित चाकघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चाकघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1 आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 ।
2 कलेक्टर, रीवा, जिला रीवा म0प्र0 ।
3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश ।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् चाकघाट म0प्र0।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) वं कॉलम क्रमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	चाकघाट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	6	6–सा–13	4	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–13	7	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,

व्याख्या–

। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार .

टीपः– उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्रं.एफ–3–22/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 460/वि.यो. 496/नग्रानि,, भोपाल दिनांक 30/01/2018 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल ।
2. कलेक्टर, भोपाल जिला भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल ।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	भोपाल विकास योजना 2005	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	4	कंडिका क्रमांक–4.61 के पैरा पी. एस.2 एवं पी. एस 3	कंडिका क्रमांक–4.61 के पैरा पी. एस.2 एवं पी. एस 3	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	4	कंडिका क्रं–4.61 के पैरा ए–3	कंडिका क्रं. 4. 61 के पैरा ए–3	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण

व्याख्या–

। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

टीप:– उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

– कॉलम क्रमांक– 7 में प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग भोपाल निवेश क्षेत्र के बड़े तालाब के केचमेंट के ग्रामों को छोडकर मान्य होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्रमांक–एफ–3–33/2012/18–5:– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक–6823/टी सी/496/वियो/उपां/नग्रानि/2018 दिनांक 15/11/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित चाकघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:–

<u>अनुसूची</u>

क्रमांक	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
1	2	3
1.	**अध्याय–6 कंडिका 6.6** **वन आवास(फार्म हाउस) :–** निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012, के नियम–17 अनुसार मान्य होगे ।	**अध्याय–6 कंडिका** **6.10 छविगृहों के मापदण्ड** छविगृहों के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) (दो) के अनुरूप मान्य होगे ।

उपरोक्त उपांतरण चाकघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

क्रमांक एफ 3–56/2018/18–5 :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1750/वि.यो.496/2018 भोपाल दिनांक 28.03.2018 द्वारा प्रकाशित गोहद विकास योजना 2031 में उपातंरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गोहद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात –

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, भिण्ड जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गोहद मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड मध्यप्रदेश

अनुसूची

क्रं.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक	उपातंरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एव कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	गोहद विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	सारणी 6–सा–11	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	सारणी 6–सा–11	08	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***, एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म0प्र0 शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म0प्र0 प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्रमांक–एफ–3–62/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–1796/भेड़ाघाट/वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 31/03/2018 द्वारा प्रकाशित भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भेड़ाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
2. कलेक्टर, जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् भेड़ाघाट म0प्र0।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका का क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	भेड़ाघाट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	7	7–सा–10	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग*
		कृषि	7	7–सा–10	8	गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,

व्याख्या–

। * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

टीपः–उपरोक्त ·। ——, के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क्रं.एफ–3–77/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–2351/वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 28/04/2018 द्वारा प्रकाशित बांधवगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 ।
2. कलेक्टर, उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0 ।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् उमरिया म0प्र0।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) वं कॉलम क्रमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	बांधवगढ़ विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	5	5–सा–7	3	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	5	5–सा–7	6	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,

व्याख्या–

। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार .

टीपः– उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क.एफ–3–71/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–2328/वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 27/04/2018 द्वारा प्रकाशित पन्ना विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पन्ना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर म0प्र0 ।
2. कलेक्टर, पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0 ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् पन्ना म0प्र0।

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल क्रमाक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	पन्ना विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	6	कंडिका 6.15(ब)	पैरा पी.एस.1 प्रशासनिक एवं पी.एस.2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक	सूचना प्रौद्योगिकी * गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	कंडिका 6.15 (ब)	ए. कृषि (ग्रामीण परिक्षेत्र सहित)	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,

व्याख्या–

। * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार .

टीपः– उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

क.ए्फ–3–96/2018/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक–3730/वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्रकाशित सलकनपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलकनपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1 आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 ।
2 कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर म0प्र0 ।
3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् सलकनपुर म0प्र0।

अनुसूची

क.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल कमांक	सारणी/कंडिका /कॉलम का सरल कमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक (5) एवं कॉलम कमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	सलकनपुर विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	6	6–सा–13	4	सूचना प्रौद्योगिकी एवं * गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–13	7	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,

व्याख्या–

। * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग

।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार .

टीप:– उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 01-24/2018/सात-7:- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग जबलपुर के जिला सिवनी की तहसील सिवनी की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें :-

क्र0	विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड / तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	संभाग जबलपुर जिला- सिवनी तहसील- सिवनी	अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 107 से 115 एवं 129 से 133, राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 95 से 106, तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त वनडोल के पटवारी हल्का 36 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त भौमा के पटवारी हल्का क्रमांक 93 एवं 94 कुल 30 पटवारी हल्कों के 76 ग्राम अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील नगर सिवनी में सम्मिलित होगें ।	संभाग जबलपुर जिला- सिवनी तहसील- सिवनी नगर	समाविष्ट किये जाने वाला क्षेत्र- प्रस्तावित नवीन नगरीय तहसील सिवनी नगर में तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 107 से 115 एवं 129 से 133, राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 95 से 106, तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त वनडोल के पटवारी हल्का 36 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त भौमा के पटवारी हल्का क्रमांक 93 एवं 94 कुल 30 पटवारी हल्कों के 76 ग्राम सम्मिलित होगें ।	पूर्व में तहसील बरघाट सिवनी ग्रामीण, पश्चिम में तहसील सिवनी ग्रामीण उत्तर में तहसील सिवनी ग्रामीण एवं दक्षिण में तहसील कुरई	
2.	संभाग जबलपुर जिला- सिवनी तहसील- सिवनी ग्रामीण	सम्मिलित क्षेत्र- शेष तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1, सिवनी भाग-2, वनडौल एवं भौमा के 103 पटवारी हल्कों के 229 ग्राम ।	संभाग जबलपुर जिला- सिवनी तहसील- सिवनी ग्रामीण	सम्मिलित क्षेत्र- शेष तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग-1, सिवनी भाग-2, वनडौल एवं भौमा के 103 पटवारी हल्कों के 229 ग्राम ।	पूर्व में तहसील केवलारी, पश्चिम में तहसील चौरई अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा, उत्तर में तहसील छपारा एवं दक्षिण में तहसील कुरई	

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके ।

क्रमांक एफ 01-26/2018/सात-7:-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग इन्दौर के जिला खरगौन की तहसील खरगौन एवं गोगावां की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें :-

अनुसूची

क्र0	विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड / तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- खरगोन एवं गोगावां	अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील खरगोन के पटवारी हल्का नं. 23 एवं 40 से 49 तक 11 हल्कों के 36 ग्राम एवं तहसील गौगांवा के पटवारी हल्का नं. 12, 16 एवं 25 कुल 3 पटवारी हल्कों के 5 ग्राम कुल 14 पटवारी हल्कों के 41 ग्राम तथा नजूल क्षेत्र खरगोन अपवर्जित होकर नवीन तहसील खरगोन नगर में सम्मिलित होगा ।	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- खरगोन नगर	**समाविष्ट होने वाला क्षेत्र-** तहसील खरगोन के पटवारी हल्का नं. 23 एवं 40 से 49 तक 11 हल्कों के 36 ग्राम एवं तहसील गौगांवा के पटवारी हल्का नं. 12, 16 एवं 25 कुल 3 पटवारी हल्कों के 5 ग्राम कुल 14 पटवारी हल्कों के 41 ग्राम तथा नजूल क्षेत्र खरगोन नवीन तहसील खरगोन नगर में सम्मिलित होगा ।	पूर्व में तहसील गौगांवा, पश्चिम में तहसील खरगौन ग्रामीण, उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील गौगांवा ग्रामीण	
2.	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- खरगोन ग्रामीण	सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील खरगौन के शेष 38 पटवारी हल्कों के 84 ग्राम होगें ।	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- खरगोन ग्रामीण	**समाविष्ट होने वाला क्षेत्र-** तहसील खरगौन के शेष 38 पटवारी हल्कों के 84 ग्राम होगें ।	पूर्व में तहसील भीकन गांव एवं तहसील झिरन्या, पश्चिम में तहसील खरगौन शहर, उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील भगवानपुरा ।	
3.	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- गोगावां	सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील गोगावां के शेष 44 पटवारी हल्कों के 104 ग्राम होगें	संभाग इन्दौर जिला- खरगोन तहसील- गोगावां	सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील गोगावां के शेष 44 पटवारी हल्कों के 104 ग्राम होगें	पूर्व में तहसील भीकन गांव एवं तहसील झिरन्या, पश्चिम में तहसील खरगोन शहर, उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील भगवानपुरा ।	

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 3394-वि.यो. 496-नग्रानि-2019 भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2020

नीमच विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीमच विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. **अध्याय–4**

4.5 – आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टे.

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : –

अध्याय–4

4.5 – आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. विलोपित

2. **अध्याय–4**

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :–

नीमच : उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4–सा–8

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू–तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में	एफ. ए. आर.	उंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईडस्		
60	भूखण्डीय विकास	2.00	7.50	30–60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज= ले–आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=15 प्रतिशत

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : –

अध्याय–4

4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :–

नीमच – उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4–सा–8

अनु. कं.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू–तल अधिकतम कव्हरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	उंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईडस्		
60	भूखण्डीय विकास	कोई नहीं	7.50	30–60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फण्टेज= ले–आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र= 1.5 प्रतिशत

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक 3452–वि.यो. 496–नग्रानि–2020 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2020

बालाघाट विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बालाघाट विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर

2 कलेक्टर, जिला बालाघाट

3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा म.प्र.

4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बालाघाट

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालाघाट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के मण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

क्रमांक 3611-वि.यो. 496-नग्रानि-2020 भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2020

उमरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उमरिया विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल
2 कलेक्टर, जिला उमरिया
3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उमरिया, म.प्र.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी /कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	उमरिया विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2020

कमांक एफ–3/128/32/2010 :– म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क. 23 सन् 1973) की धारा 13(2)क के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन समसंख्यक अधिसूचना 24/12/2011, अधिसूचना दिनांक 01/12/2012 तथा शुद्धि पत्र अधिसूचना दिनांक 06/09/2016 के द्वारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाओं को म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के निवेश क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामों/क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता हैं। पूर्व में पुनर्गठित निवेश क्षेत्र में 74 ग्राम सम्मिलित थे, जिनमें से पीथमपुर के नवीन संशोधित निवेश क्षेत्र में 34 ग्राम पूर्णतः तथा 31 ग्राम आंशिक रूप से समाहित हैं। पीथमपुर नवीन पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती हैं :–

अनुसूची

पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पिपल्दा, कल्साड़ाखुर्द, लेबड़, सेजवाया, डेहरी (धार), ताजखेड़ी, मेठवाड़ा (आंशिक), झलारिया, मोथला, बंदीपुरा, बेटमाखास (आंशिक), बिजेपुर (आंशिक), बेटमाखुर्द (आंशिक), माचल, गलौंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में : ग्राम पिपल्दा, गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में : ग्राम पिपल्या मल्हार, कवटी, टिही, भाटखेड़ी (आंशिक), गोपालपुरा, बंजारी (आंशिक), भौंड़िया, खण्डवा (आंशिक), कल्याणसीखेड़ी (आंशिक), बिचौली (आंशिक), बकसाना (आंशिक), निजामपुरा, नाजिक बड़ौदा तथा मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में : ग्राम धरावरा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी (महू), सोनवाय तथा पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक।

ग्रामों की सूची जो निवेश क्षेत्र में पूर्णतः समाहित हैं :–

1) पिपल्दा	2) कल्साड़ाखुर्द	3) लेबड़	4) सेजवाया
5) डेहरी (धार)	6) ताजखेड़ी	7) ओसरोद	8) कुमार कराड़िया
9) निजामपुरा	10) नाजिक बड़ौदा	11) मिर्जापुर	12) गुणावद
13) एकलदूना दिग्ठान	14) सेजवानी	15) झलारिया	16) पीर पिपल्या
17) बंदीपुरा	18) मोथला	19) माचल	20) गलौंडा
21) धरावरा	22) नरलाय	23) मोकलाय	24) डेहरी (महू)
25) सोनवाय	26) भैंसलाय	27) गोपालपुरा	28) कवटी
29) पिपल्या मल्हार	30) बागोदा (इंदौर)	31) चिराखान	32) गवला
33) भौंड़िया	34) जामोदी		

ग्रामों की सूची जो आंशिक या अधिकांश क्षेत्र निवेश क्षेत्र में समाहित हैं :–

1	मेठवाड़ा	सर्वे कमांक 26, 28, 41, 44, 370, 368, 367, 366, 363, 456, 455, 454, 453, 558, 560, 549 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 548, 554, 546, 543, 536 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
2	मण्डलावदा	सर्वे कमांक 3/2, 3/3, 35/5, 35/1/1, 35/3, 36/1, 58/1, 37 का उत्तरी भाग, 47/1 एवं 47/2 का उत्तरी भाग सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 30 का उत्तरी भाग, सर्वे कमांक 29 का दक्षिण भाग छोड़कर, सर्वे कमांक 28 का उत्तरी भाग, सर्वे कमांक 24 भाग ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, 51/2 (55 का भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, सर्वे कमांक 68 (मार्ग), सर्वे कमांक 70/4, 70/3 (भाग) ए.के.वी.एन सीमा के पश्चात् का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 3 एवं 80 का भाग (ए.के.वी.एन सीमा के पश्चात् का उत्तरी दिशा क्षेत्र)
3	बगदून	सर्वे कमांक 7, 4, 5, 6 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर का क्षेत्र
4	करवासा	सर्वे कमांक 33, 31 (भाग), 41 (भाग), 44 (भाग), 52 (भाग), 51 (भाग), 139 (भाग), 140 (भाग), 141 (भाग), 146, 145 (भाग), 174 (भाग), 171 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
5	रणमल बिल्लौद	सर्वे कमांक 20 (भाग), 18 (भाग), 14 (भाग), 10 (भाग), 8 (भाग), 7 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।

6	सलमपुर	दक्षिण–पूर्व से सर्वे कमांक 75, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 101, 102, 105, 117, 116 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
7	बंदीपुरा	सर्वे कमांक 115 (भाग), 181/261 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
8	बिचौली	सर्वे कमांक 157 (भाग), 149 (भाग), 141 (भाग), 142 (भाग), 143 (भाग), 144 (भाग), 148 (भाग), 33 (भाग), 34, 35, 22, 23, 24, 21, 20, 44, 46, सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
9	बकसाना	सर्वे कमांक 45 (भाग), 333 (भाग), 332 (भाग), 331 (भाग), 339 (भाग), 341 (भाग), 342 (भाग), 343 (भाग), 323 (भाग), 311 (भाग), 312 (भाग), 316 (भाग), 315 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
10	बगोदा	सर्वे कमांक 121/3 (भाग), 121/2 (भाग), 120 (भाग), 131 (भाग), 132 (भाग), 21 (भाग), 23 (भाग), 22 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
11	उमरिया	सर्वे कमांक 21 (भाग), 201 (भाग), 205/2 (भाग), 205/1 (भाग), 206 (भाग), 220/1 (भाग), 216/3 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 216/3 (भाग), 219 (भाग), 218 (भाग), 231 (भाग) सहित ए. के.वी.एन. सीमा से उत्तर का क्षेत्र।
12	सांगवी	सर्वे कमांक 47 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 46 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, सर्वे मांक 43 (भाग), 44, 4, 5, 14 (भाग) ब 85 (भाग) नदी
13	घाटा बिल्लौद	सर्वे कमांक 302 (भाग), 288 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग), 237 (भाग), 240 (भाग), 242 (भाग), 157 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 159 (भाग), 160 (भाग), 161 (भाग), 162 (भाग), 156 (भाग), 55 (भाग), 54 (भाग), 50 (भाग), 43 (भाग), 34 (भाग), 32 (भाग), 36 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 12 (भाग), 14 (भाग), 22 (भाग), 21 (भाग), 18 (मार्ग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
14	बेटमाखास (नगर पंचायत)	सर्वे कमांक 426 (भाग), 427 (भाग), 428 (भाग), 434 (भाग), 433 (भाग), 440 (भाग), 442 (भाग), 452 (भाग), 454 (भाग), 455 (भाग), 456 (भाग), 463 (भाग), 462 (भाग), 476 (भाग), 475 (भाग), 474 (भाग), 485 (भाग), 530 (भाग), 531 (भाग), 591 (भाग), 592 (भाग), 593 (भाग), 594 (भाग), 595 (भाग), 587 (भाग), 586 (भाग), 628 (भाग), 627 (भाग), 629 (भाग), 630 (भाग), 251 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
15	बिजेपुर	सर्वे कमांक 89 (भाग), 88 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।

		सर्वे कमांक 104 (भाग), 110 (भाग), सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व का क्षेत्र।
16	बेटमाखुर्द	सर्वे कमांक 16, 13, 35 (भाग), 41 (भाग), 48 (भाग), 49 (भाग), 50 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
17	किशनपुरा	सर्वे कमांक 86 (भाग), 86/108/1 (भाग), 1/109/2 (भाग), 1/111 (भाग), 1 (भाग), 2 (भाग), 5 (भाग), 10 (भाग), 11 (भाग), 57 (भाग), 55 (भाग), 50 (भाग), 48 (भाग), 29 (भाग), 30/1 (भाग), 36 (भाग), 30/2 (भाग), 30/3 (भाग), 30/4 (भाग), 30/5 (भाग), 26 (भाग), 27 (भाग), 20 (भाग), 21 (भाग), 68 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र।
18	भंवरगढ़	सर्वे कमांक 86 (भाग), 82 (भाग), 85 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 87 (भाग), 88 (भाग), 85 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम का क्षेत्र, 88 (भाग), 126 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र।
19	सिलौटिया	सर्वे मांक 173 (भाग), 174 (भाग), 171 (भाग), 166 (भाग), 192 (भाग), 195 (भाग), 194 (भाग), 193 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र।
20	धन्नड़	सर्वे कमांक 850 (भाग), 851 (भाग), 853 (भाग), 854 (भाग), 844 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 843 (भाग), 841 (भाग), 872 (भाग), 878 (भाग), 898 (भाग), 1032 (भाग), 1033 (भाग), 1034 (भाग), 1035 (भाग), 1036 (भाग), 1037 (भाग), 1067 (भाग), 1066 (भाग), 1065 (भाग), 1064 (भाग), 1062 (भाग), 1061 (भाग), 1068 (भाग), 1120 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
21	टिही	सर्वे कमांक 1 (भाग), 2 (भाग), 35 (भाग), 42 (भाग), 51 (भाग), 52 (भाग), 53 (भाग), 118 (भाग), 119 (भाग), 120 (भाग), 122 (भाग), 123 (भाग), 124 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
22	भाटखेड़ी	सर्वे कमांक 228 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग), 227 (भाग), 291 (भाग), 224 (भाग), 292 (भाग), 293 (भाग), 78 (भाग), 297 (भाग), 299 (भाग), 301 (भाग), 302 (भाग), 300 (भाग), 339 (भाग), 358 (भाग), 357 (भाग), 314/1 (भाग), 317 (भाग), 318 (भाग), 319 (भाग), 321 (भाग) सहित ए. के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
23	बंजारी	सर्वे कमांक 322 (भाग), 320 (भाग), 60 (भाग), 72 (भाग), 62 (भाग), 60 (भाग), 63 (भाग), 65 (भाग), 66 (भाग), 67 (भाग), 211/3/1 (भाग), 3/3/1 (भाग), 3/2 (भाग), 2/1/2/2 (भाग), 2/1/2 (भाग), 1/1 (भाग), 1/3 (भाग), 1/2 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र।

		सर्वे कमांक 351 ब 363 (भाग), 364 (भाग), 366 (भाग), 368 (भाग), 323 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण–पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 322, 325 (मार्ग), 317, 320, 319, 312, 311, 262 (भाग), 305, 264, 244 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 241, 238, 249, 250, 252, 220 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर का क्षेत्र, Z5 पूर्व दिशा।
24	पीथमपुर	सर्वे कमांक 229, 227, 210 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर का क्षेत्र 186, 187, 197 ए.के.वी.एन. सीमा तक, 132 (भाग), 132/525 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 167, 166, 155, 152, 154, 153, 149, 145 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 146 ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर सीमा तक, 140 ए.के.वी.एन. सीमा तक, 115 (भाग), 114 (भाग), 111 (भाग), 107 (भाग), 100 (भाग), 99 (भाग), 98 (भाग), 97 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र।
25	बरदरी	सर्वे कमांक 430 (भाग), 423, 424, 425, 436 (भाग), 439 (भाग), 440 (भाग), 441 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र, 443, 442 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 444 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 279 ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र,
		सर्वे कमांक 278, 271, 272, 273, 275, 276, 255 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 248, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 258 तथा 259 (भाग), 263/3, 280, 281 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 261, 262 (ए.के.वी.एन.सीमा तक), 301 (भाग) ए.के.वी.एन.सीमा के दक्षिण–पूर्व दिशा का क्षेत्र, 299 एवं 304 (ए.के.वी.एन.सीमा तक), 305 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 306 (भाग), 327 (भाग), 422 (भाग), 421 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र,
		सर्वे कमांक 307, 308, 322, 325, 327, 328 (भाग), 320 (भाग) ए.के.वी. एन.सीमा तक।
26	अकोलिया	सर्वे कमांक 34 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण का क्षेत्र, 46 (भाग) ए. के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 50, 51, 52 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 88 (भाग), 89 (भाग), 90 (भाग), 93 (भाग), 96 (भाग), 97 (भाग), 98 (भाग), 99 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 97 (ए.के.वी.एन. तक), 113 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 140, 141, 135 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 186 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 362 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 360 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर–दक्षिण का क्षेत्र, 301 ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र, 323, 221, 219, 220, 224 (ए.के.वी.एन. सीमा तक)

		सर्वे कमांक 227 (भाग), 228 (भाग), 238 (भाग), 265 (भाग), 264 (भाग), 262 (भाग) तथा 280 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 261 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 260, 259, 241, 243, 245, 246, 258, 257, 256, 254 (ए.के.वी.एन. सीमा तक),
27	खण्डवा	सर्वे कमांक 467 (भाग), 464 (भाग), 462 (भाग), 468 (भाग), 469 (भाग), 473 (भाग), 474 (भाग), 490 (भाग), 489 (भाग), 485 (भाग), 486 (भाग), 497 (भाग), 594 (भाग), 592 (भाग), 607 (भाग), 608 (भाग), 619 (भाग), 618 (भाग), 617 (भाग), 623 (भाग), 625 (भाग),626 (भाग), 627 (भाग), 628 (भाग), 113 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र।
28	कल्याणसीखेड़ी	सर्वे कमांक 554 (भाग), 79 (भाग), 80 (भाग), 83 (भाग), 84 (भाग), 86 (भाग), 88 (भाग), 110 (भाग), 109 (भाग), 108 (भाग), 107 (भाग), 106 (भाग), 105 (भाग), 104 (भाग), 102 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र।
29	सागौर	सर्वे कमांक 1137 (भाग), 1138 (भाग), 1143 (भाग), 1156 (भाग), 1161 (भाग), 1157 (भाग), 867 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 224 (दक्षिण क्षेत्र), 223, 221, 220, 207, 206, 204, 203, 202 (ए.के.वी.एन. सीमा तक)
		सर्वे कमांक 237 (भाग), 236 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व का क्षेत्र, 392 (भाग) दक्षिण दिशा का क्षेत्र,
		सर्वे कमांक 313, 314, 385, 320 (भाग), 324 (भाग), 322 (भाग), 335, 41, 44, 40, 40/3, 40/2, 40/1, 32 (ए.के.वी.एन. सीमा तक),
		सर्वे कमांक 834 (भाग), 852 (भाग), 838 (भाग), 842 (भाग), 5 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा सीमा तक।
30	खेड़ा	सर्वे कमांक 339 (भाग), 317 (भाग), 311 (भाग), 337 (भाग), 339 (भाग), 340 (भाग), 313 (भाग), 219 (भाग), 210 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 200 (भाग), 208 (भाग), 824 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 823 (भाग), 822 (भाग), 853, 815, 818, 808, 805 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 818, 816, 917, 919, 818 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र।
		सर्वे कमांक 907, 905 ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र, 908, 902, 898, 895, 896 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र,
		सर्वे कमांक 1159 (भाग), 1161 (भाग), 1171, 1177 (भाग), 1178 (भाग), 1034 (भाग), 1033 (भाग), 1023 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
31	माधवपुर	सर्वे कमांक 15 (भाग), 13 (भाग), 25 (भाग), 26 (भाग), 11 (भाग), 9 (भाग), 102 (भाग), 100 (भाग), 101 (भाग), 4 (भाग), 2 (भाग), 1 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।

नोट :– ए.के.वी.एन. सीमा से तात्पर्य ए.के.वी.एन. निवेश क्षेत्र सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक–3670–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.– भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2020

ओरछा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ओरछा विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, सागर, संभाग सागर
2 कलेक्टर, जिला निवाड़ी
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-छतरपुर म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, ओरछा

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओरछा विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–8	–	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6.6	–	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक–3620–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.–

कटनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, म.प्र.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	कटनी विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–11	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–11	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्रमांक–3620–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.–

कटनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, म.प्र.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	कटनी विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–11	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6–सा–11	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक–3644–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.– भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

महेश्वर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि महेश्वर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2 कलेक्टर, जिला खरगोन
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, महेश्वर, म.प्र.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	महेश्वर विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
		कृषि	6	6–सा–14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक–3651–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.– भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

माण्डव विकास योजना, 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मांडव विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2 कलेक्टर, जिला धार
3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, माण्डव

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की कंडिका	विकास योजना की कंडिका का सरल कमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	माण्डव विकास योजना 2011	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र	षष्टम	6.53	1. (की सारणी 6–सा–6), 2 एवं 3	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि उपयोग परिक्षेत्र	षष्टम	6.6	1 एवं 2	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक–3655–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.– भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

नरसिंहपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नरसिंहपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	**अध्याय-4** **4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :- **(अ)** उत्तर - चांडक चौक से नई बस्ती तक। **(ब)** पूरब - खिरहनी फाटक से रेल्वे स्टेशन। **(स)** दक्षिण - रेल्वे कालोनी से मिशन चौक तक। **(द)** पश्चिम -चांडक चौक से मिशन चौक तक।	**अध्याय-4** **4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:- (अ) उत्तर-पूर्व - मुशरान पार्क से होते हुए इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। **(ब)** उत्तर-पश्चिम - नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। **(स)** दक्षिण-पूर्व - कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुए सिंगरी नदी की सीमा तक। **(द)** दक्षिण-पश्चिम - सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक।

2	**अध्याय-6** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4	**अध्याय-6** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। **सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। **सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।**
	व्याख्या– 1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें । 2. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। 3. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार। टीप :– उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।	
3	**6.18:-वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन** **स-** गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।	**6.18:- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन** **स-** स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुनर्निर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

क्रमांक–3698–वि.यो. 496–नग्रानि–2020.– भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020

आलोट विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आलोट विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1 आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2 कलेक्टर, जिला रतलाम
3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आलोट, म.प्र.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आलोट विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6–सा–13	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
		कृषि	6	6–सा–13	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे।

व्याख्या–

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त–सह–संचालक.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अधि.क्र. 123–एफ–1–326–2020–अठारह–3.– मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 133–क एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा–161 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा, शहरी क्षेत्र में अचल संपत्ति अंतरण के दस्तावेजों में वर्णित संपत्ति के मूल्य पर देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक, वर्तमान में प्रचलित 03 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत निर्धारित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020

क्र. एफ–1–326–2020–अठारह–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 123–एफ–1–326–2020–अठारह–3, दिनांक 17 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal the 17th September 2020

No. 123-F-1-326-2020-XVIII-3.- Under the Provisions of Section 133-A of the Madhya Pradesh Muncipal Corporation Act 1956 and Section 161 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby, Prescribes additional Stamp duty Payable on the value of the Property mentioned in the documents for transfer of immovable Property in the urban areas, to be 1%, till 31st December 2020, as against 3% Prescribed Presently.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जुलाई 2020

प्र. क्र. 01-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	ढड़ारी (द्वितीय पूरक)	0.440	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 4151-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे" उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA, नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र.-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-कलारबाकी ब. नं.-46 प.ह.नं.-46	3.96	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की कलारबाकी एवं थावरी माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4152-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़

की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1	ग्राम-पिंडरई ब. नं.-365 प.ह.नं.-126	कुल रकबा 3.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 20-एल माईनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4153-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे" उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं.-22 (ए)/101/2016/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु

रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-लुंगसा ब. नं.-529 प.ह.नं.-47	7.57	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक की सागर माईनर एवं सब माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4154-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर आर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे" उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं.-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-टोलापिपरिया ब. नं.-234 प.ह.नं.-30	5.33	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4155-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे" उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं.-22 (ए)/101/2016/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-पटरा ब. नं.-316 प.ह.नं.-29	5.65	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4156-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875, भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-खामखरेली ब. नं.-113 प.ह.नं.-39	कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4157-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875, भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-थांवरी ब. नं.-264 प.ह.नं.-37	कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4158-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875, भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक

समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1	ग्राम-बम्होड़ी ब. नं.-397 प.ह.नं.-115	कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 26-एल माईनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4159-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सबी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे. '' उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं.-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये

2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-बल्लारपुर ब. नं.-394 प.ह.नं.-41	12.02	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4160-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र.-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-टिग्गीटोला ब. नं.-316 प.ह.नं.-29	4.47	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4161-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-मेहलोन ब. नं.-474 प.ह.नं.-45	5.03	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरबाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4162-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-बजरवाड़ा ब. नं.-377 प.ह.नं.-46	5.70	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरबाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4163-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास़न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-बीसापुर ब. नं.-523 प.ह.नं.-29	1.37	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बीसावाड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 4164-जि.भू-अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे''. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV-5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-राहीवाड़ा ब. नं.-519 प.ह.नं.-31	0.20	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 27 जुलाई 2020

पत्र क्र. 420-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

जिला—सीधी
तहसील—बहरी

ग्राम का नाम—करकचहा जगदीश

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.172 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी जिला-सीधी, (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) निर्माण हेतु.
2	2/1, 2/2	0.032		
3	3/1, 3/2	0.026		
4	4/1, 4/2	0.104		
	योग . .	0.172		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 422-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

जिला—सीधी

तहसील—बहरी

ग्राम का नाम—भठिगवॉ

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.634 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	154	0.096	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी जिला-सीधी, (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की टेल माइनर (बायी तरफ) निर्माण हेतु.
2	184/1			
3	184/2	0.100		
4	184/3			
5	198	0.080		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	199/1	0.077		
7	102	0.030		
8	101	0.102		
9	98	0.016		
10	100	0.115		
11	99	0.018		
	योग . .	0.634		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 अगस्त 2020

पत्र क्र. 03-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पथरिया	नेगुंवा, सतपारा	4.478	परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म. प्र.).	पंचमनगर काम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना अंतर्गत तह-पथरिया के ग्राम नेगुवा एवं सतपारा में से पाईप लाईन बाबत्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग सागर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्र. 4047-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. छिंदवाड़ा -नैनपुर-मंड़ला फोर्ट के अंतर्गत छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"** की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—केवलारी, रा.नि.मं.-केवलारी
- (ग) नगर/ग्राम—केवलारी, प.ह.नं. 41
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—0.01 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305/2	0.01
योग . .	0.01

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 4147-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"** की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल
- (ग) नगर/ग्राम—गोरखपुरकला ब. नं-243, प. ह. नं-2
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—3.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
632	0.10
603	0.03
448	0.15
449	0.24
450	0.12
452	0.15
453	0.03
454	0.03
456	0.05
455	0.06
457	0.05
459	0.05
461	0.04
462	0.13
463	0.03
464	0.02

(1)	(2)
465/771	0.02
63/772	0.03
465	0.02
63	0.02
466	0.03
64	0.03
467	0.01
68	0.01
128	0.01
127	0.03
134	0.01
138	0.18
136	0.05
137	0.15
104	0.10
121	0.09
120	0.11
119	0.05
109	0.10
103	0.03
105	0.03
106	0.03
110	0.01
107	0.07
99	0.10
100	0.11
101	0.01
98	0.15
96	0.01
97	0.05
26	0.08
22/775	0.13
468	0.01
67	0.01
66	0.03
65	0.02
62	0.01
469	0.01
130	0.13
23/774	0.01
22	0.03
27	0.02
27/785	0.07
28	0.05
31	0.11
योग . .	0.83

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की माईनर नंबर-01 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4148-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"** की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल
- (ग) नगर/ग्राम—समनापुर, रैयत ब. नं.-542, प. ह. नं.-2
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—0.83 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/2	0.16
21/3	0.01

(1)	(2)
21/1	0.08
23/2	0.10
7/1	0.01
7/2	0.04
7/3	0.03
8/1	0.16
8/3	0.08
8/4	0.07
8/5	0.08
8/6	0.01
योग . .	0.83

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4149-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल

(ग) नगर/ग्राम—भोगाखेड़ा, ब. नं.-463, प. ह. नं.-36

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—0.87 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134	0.16
132	0.03
131	0.09
71	0.02
94/2	0.07
94/1	0.05
93/2	0.04
93/1	0.02
92/1	0.02
92/3	0.04
92/2	0.04
72	0.20
69	0.07
70	0.01
66	0.01
योग . .	0.87

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की माईनर नंबर-01 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4150-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"** की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल
- (ग) नगर/ग्राम—समनापुरमाल, ब. नं-02, प. ह. नं-2
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—0.90 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/1	0.19
81/5	0.06
81/6	0.07
75/1	0.08
71	0.10
67	0.03
66/1	0.03
66/2	0.05
66/3	0.03
8	0.03
9/1	0.02
9/2	0.02
9/3	0.02
9/4	0.02
9/5	0.02
10	0.11
11/1	0.01
11/2	0.01
योग . .	0.90

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4749-जि.भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) नगर/ग्राम—घोघरीमाल, प. ह. नं-16, रा.नि.मं.-धनौरा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.86 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367	0.18
362/12	0.07
362/10	0.07
362/2	0.07
362/11	0.07
362/9	0.07
362/8	0.07
362/4	0.05
362/3	0.05
361	0.02
296/2	0.21
301/1	0.15
298	0.07
199/1	0.10

(1)	(2)
198/3	0.04
198/4	0.04
197	0.07
195/5	0.08
195/4	0.05
195/3	0.06
195/2	0.09
364	0.18
योग . .	1.86

(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्र.-1, लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4748-जि.भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—घोघरी रैयत, प. ह. नं-16, रा.नि.मं.-धनौरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.43 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/2	0.02
17/1	0.09
19/1	0.04
32/1	0.04
19/2	0.04
32/2	0.09
31/1	0.09
31/2	0.17
31/4	0.03
41	0.43
37	0.01
42/2	0.03
42/6	0.03
38	0.29
42/1	0.03
योग . .	1.43

(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्र.-1 लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4750-जि.भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) नगर/ग्राम—घोघरीमाल, प. ह. नं.-16, रा.नि.मं.-धनौरा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.39 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334/1	0.02
321	0.15
320/2	0.06
320/1	0.03
319/6	0.23
319/10	0.02
319/9	0.14
319/1	0.10
313/1	0.37
313/2	0.01
271/1	0.05
270/8	0.04
270/7	0.03
270/6	0.02
270/2	0.02
270/1	0.10
योग . .	1.39

(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्रं.-1 लखनादौन जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4751-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम/नगर—ग्राम जरौदा ब. नं.-195, प.ह.नं.-02, रा.नि.मं.-बंड़ोल
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.74 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/6	0.01
28/1	0.06
28/2	0.01
28/3	0.07
32/1	0.36
26/5	0.05

(1)	(2)
34/1	0.12
34/2	0.12
38	0.13
37/4	0.08
37/2	0.14
37/3	0.10
37/1	0.10
43/1	0.14
43/2	0.06
50/1	0.05
50/2	0.05
50/3	0.04
50/4	0.04
53	0.18
54	0.01
60	0.16
58	0.13
70/4	0.04
70/3	0.12
70/2	0.03
70/6	0.12
70/1	0.03
70/7	0.06
72/1	0.08
70/8	0.05
योग . .	2.74

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2020

पत्र क्र. 253-प्रका.-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—बेलवा बड़गैयान-397

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.076 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
591	0.003
612	0.073
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.076
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ +ब का योग . .	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 255–प्रका.–भू–अर्जन–2020.

चूँकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हा गया है कि नीचे दी गयी अनुसूचा क पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

(1) भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा

(ख) तहसील :– सिरमौर

(ग) ग्राम :– लालगांव–510

(घ) क्षेत्रफल :– **0.224**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			~~अ– निजी पट्टे की भूमि~~		
1	1323	0.034	6	1600	0.038
2	1319	0.093	**अ.निजी पट्टे की भूमि का योग–**		**0.224**
3	2626/1961	0.018	**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
4	1280	0.021	**ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
5	1278	0.020	**अ + ब का योग–**		**0.224**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 22 एवं 23**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 259–प्रका.–भू–अर्जन–2020.

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा

(ख) तहसील :– मनगवां

(ग) ग्राम :– मढ़ासिगरान–432

(घ) क्षेत्रफल :– **0.172**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
1	63	0.172	**म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.172**	**अ + ब का योग–**		**0.172**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12** " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 261–प्रका.–भू–अर्जन–2020.

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा

(ख) तहसील :– नईगढ़ी

(ग) ग्राम :– नीवी शिवरतन–550

(घ) क्षेत्रफल :– **0.005**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
1	59	0.005	**ब. म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
अ.निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.005**	**अ + ब का योग–**		**0.005**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 301–प्रका.–भू–अर्जन–2020. रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– सतना

(ख) तहसील :– अमरपाटन

(ग) ग्राम :– ताला

(घ) क्षेत्रफल :– **1.440**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि		
1	2348/1/क/1	0.454
2	2348	0.182
3	2345	0.016
4	3404	0.036
5	3390	0.005
6	3185	0.025
7	2928	0.120
8	2590	0.010
9	2889	0.003
10	2865	0.028
11	2704	0.030
12	3367	0.101
13	1687	0.015
14	4620	0.008
15	4585/4821	0.025
16	4583	0.005
ब– म0प्र0शासन की भूमि		
17	4584	0.105
18	4521	0.004
19	4531	0.004
20	4156	0.006
21	254	0.025
22	184	0.012
23	95	0.035
24	974	0.051
25	3399	0.097
अ: निजी पट्टे की भूमि का योग–		**1.402**
1	4602	0.011
2	3182	0.027
म0प्र0शासन की भूमि का योग–		**0.038**
अ + ब का योग–		**1.440**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–**"बहुती नहर के अन्तर्गत बेला माइनर नहर"** में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 345–प्रका.–भू–अर्जन–2020. रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा
(ख) तहसील :– मऊगंज
(ग) ग्राम :– मलैगंवा 823
(घ) क्षेत्रफल :– **0.033**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			ब– म0प्र0शासन की भूमि		
1	100	0.033	म0प्र0शासन की भूमि का योग–		**0.000**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.033**	अ + ब का योग–		**0.033**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 347–प्रका.–भू–अर्जन–2020.

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा
(ख) तहसील :– मऊगंज
(ग) ग्राम :– डोकरा माठ खुर्द–409
(घ) क्षेत्रफल :– **0.085**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			ब– म0प्र0शासन की भूमि		
1	7	0.085	म0प्र0शासन की भूमि का योग–		**0.000**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.085**	अ + ब का योग–		**0.085**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 349–प्रका.–भू–अर्जन–2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा
(ख) तहसील :– मऊगंज
(ग) ग्राम :– पनिगंवा 587
(घ) क्षेत्रफल :– **0.017**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
1	70	0.017	**म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.017**	**अ + ब का योग–**		**0.017**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 351–प्रका.–भू–अर्जन–2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा
(ख) तहसील :– मऊगंज
(ग) ग्राम :– पथरहा नं. 2, 580
(घ) क्षेत्रफल :– **0.004**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
1	1	0.004	**म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.004**	**अ + ब का योग–**		**0.004**

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 353–प्रका.–भू–अर्जन–2020.

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है–

।। अनुसूची ।।

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला :– रीवा
(ख) तहसील :– मऊगंज
(ग) ग्राम :– भाट मु. ढ़ेरा–784
(घ) क्षेत्रफल :– **0.142**

क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में	क्र0	खसरा नं0	अर्जित रकवा हे0 में
अ– निजी पट्टे की भूमि			**ब– म0प्र0शासन की भूमि**		
1	54	0.115	**म0प्र0शासन की भूमि का योग–**		**0.000**
2	57	0.027	**अ + ब का योग–**		**0.142**
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग–		**0.142**			

1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है–" **बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस**" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 186-भू-अर्जन-2019 जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2020

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजनार्थ के लिये है.

चूंकि, ग्राम-इन्द्रा, तहसील-बरेला, जिला-जबलपुर में अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—बरेला
(ग) नगर/ग्राम—इन्द्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.31 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/1 (ग्राम-इन्द्रा)	0.170
11(ग्राम-इन्द्रा)	0.100
15 (ग्राम-इन्द्रा)	0.040
कुल रकबा . .	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—अमझर-लौहकरी-इन्द्रा-पड़वार बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 238-भू-अर्जन-2020. रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2020

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकवा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।—

अनुसूची

भूमि का वर्णन —

(क) जिला — रीवा (म.प्र.)
(ख) तहसील — सिरमौर
(3) नगर/ग्राम — मौहरिया 485–486
(घ) लगभग क्षेत्रफल — निजी भूमि का रकबा 1.028 हे0
शासकीय भूमि का रकबा 0.454 हे0
कुल रकबा — 2.482 हे0

क– निजी पट्टे की भूमि

मौहरिया – 485 – कोठार

क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकवा	क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	375	0.202	11	166	0.024
2	376/1	0.032	12	371	0.060
3	380/2	0.014	13	374	0.010
4	380/1	0.014	14	167/2	0.024
5	383/4	0.069	15	370	0.070
6	383/5	0.020	16	359/1	0.101
7	382/1	0.044	17	359/4	0.020

8	381	0.032	18	379/2	0.004
9	416/2	0.040	19	358/1	0.024
10	417/1	0.032	20	358/4	0.024
			क–	कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 485– कोठार	0.860 हे0
ख–. निजी भूमि ग्राम मौहरिया 486 उन्मूलन					
1	416/2	0.089	28	520/2	0.048
2	417	0.016	29	503	0.020
3	418/2	0.024	30	517/3	0.012
4	419	0.024	31	515	0.008
5	420	0.024	32	514/1	0.004
6	423	0.024	33	514/3	0.010
7	415/1	0.028	34	514/2	0.008
8	418	0.036	35	514/4	0.020
9	256/3/410	0.010	36	513/1	0.010
10	414/7/2	0.040	37	512/1	0.032
11	414/4/2/1	0.060	38	526/1	0.016
12	414/6	0.020	39	528/3	0.012
13	414/1	0.050	40	657/5	0.012
14	392/2	0.020	41	657/4	0.012
15	392/2/1	0.004	42	657/1	0.012
16	393/2	0.024	43	656	0.016
17	383/1	0.040	44	655	0.016
18	381/1	0.024	45	569/1	0.073
19	694	0.036	46	567	0.020
20	388	0.024	47	562	0.008

21	501	0.004	48	559	0.028
22	499	0.010	49	693/1	0.030
23	561	0.020	ख–	कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 486– उन्मूलन	1.168 हे0
24	359/2/1	0.020	क–	कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 485– कोठार	0.860 हे0
25	359/2/2	0.020	क+ख	निजी भूमि (मौहरिया 485–486)	2.028हे0
26	359/4	0.020			
27	359/5	0.030			

ग– शासकीय भूमि

मौहरिया – 485 – कोठार

क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकवा			
1	417/2	0.008			
ग	कुल योग– शासकीय भूमि रकबा 485– कोठार	0.008 हे0			

घ–. शासकीय भूमि

ग्राम मौहरिया 486 उन्मूलन

1	391	0.056	8	653	0.071
2	389	0.024	9	566/1	0.060
3	387	0.040	घ	कुल योग– शासकीय भूमि रकबा 486– उन्मूलन	0.446 हे0
4	500	0.016	ग	कुल योग– शासकीय भूमि रकबा 485– कोठार	0.008 हे0
5	504	0.065	ग+घ	कुल शासकीय भूमि रकबा मौहरिया 485–486	0.454 हे0
6	516/3	0.045			
7	527	0.070			

(क+ख) + (ग+घ) का योग = 2.028 +0.454 = 2.482 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :– रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग हेतु।

- भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 239-भू-अर्जन-2020.

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि रंजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकवा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन –

(क) जिला – रीवा (म.प्र.)
(ख) तहसील – सिरमौर
(3) नगर/ग्राम – अकौरी नं0–1
(घ) लगभग क्षेत्रफल – निजी भूमि का रकबा 1.672 हे0
शासकीय भूमि का रकबा 0.646 हे0
कुल रकबा – 2.318 हे0

क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकवा	क्रमांक	खसरा नं.	अर्जित रकवा
क– निजी पट्टे की भूमि					
1	106	0.032	31	216	0.012
2	128/3	0.045	32	217	0.017
3	129/2/2	0.031	33	238/2	0.016
4	129/2/3	0.005	34	240	0.024
5	129/1	0.049	35	241/1	0.008
6	129/3	0.041	36	284/2	0.005
7	133/1	0.032	37	284/1	0.024
8	134/1/1	0.006	38	284/5	0.006

9	134/1/2	0.016	39	286/1	0.008
10	134/1/3	0.008	40	286/2/1	0.224
11	134/1/4	0.016	41	286/3	0.032
12	134/4	0.010	42	286/8	0.012
13	135/1	0.044	43	286/9	0.006
14	135/2	0.014	44	288/1	0.008
15	177/1	0.016	45	288/2	0.012
16	181/1	0.062	46	288/5	0.008
17	194/1	0.024	47	288/6	0.006
18	194/2	0.024	48	287/1	0.022
19	195/1/1	0.024	49	340/1/276	0.040
20	196/1	0.036	50	182/1/ख	0.036
21	198/1/2	0.024	51	339/1/ख	सामिल नं0 182/1/ख
22	199/1	0.008	52	182/2	0.028
23	199/2	0.092	53	339/2	सामिल नं0 182/2
24	200	0.008	54	111/1	0.018
25	201	0.012	55	110/1	0.036
26	204/1	0.080	56	109	0.040
27	205	0.092	57	182/239/1क	0.121
28	211	0.016	क	निजी भूमि का कुल रकबा–	1.672 हे0
29	212/1	0.016			
30	214	0.008			
			ख– शासकीय भूमि		
1	110/3	0.012	18	286/4	0.016
2	110/4	0.004	19	286/5	0.028
3	111/3	0.008	20	276/340/2/1	0.012

4	128/4	0.012	21	276/340/2/2	0.012
5	129/4	0.012	22	177/341/1/क	0.012
6	133/3	0.016	23	241/2	0.008
7	134/3	0.016	24	198/2	0.008
8	181/2	0.016	25	212/2 213/2	0.012
9	192/3	0.004	26	221/3	0.012
10	192/4	0.024	27	222/3	0.008
11	194/3	0.016	28	215	0.097
12	194/4	0.016	29	227	0.189
13	195/2	0.004	ख–	शासकीय भूमि का कुल रकबा–	0.646 हे0
14	196/2	0.028	क	निजी भूमि का कुल रकबा–	1.672 हे0
15	197/7	0.012	क+ख	निजी +शासकीय भूमि का कुल रकबा	2.318
16	284/3	0.016			
17	284/4	0.016			

(क) + (ख) का योग = 1.672+0.646 = 2.318 हे.

1– सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :– रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग हेतु।

2– भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 198-भू-अर्जन-2020 सतना, दिनांक 6 अगस्त 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -**सतना**

(ख) तहसील- **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम - **गंगवरिया**

(घ) क्षेत्रफल- 4.154 हे0

स0क0	खसरा नं0	प्रभावित रकवा हे0 में
1	929/2/2	0.025
2	929/2/3	0.025
3	929/2/4	0.025
4	929/2/5/1	0.005
5	929/2/5/3	0.008
6	929/2/5/2	0.004
7	929/2/5/4	0.004
8	929/2/5/5	0.004
9	929/2/6/1	0.004
10	929/2/6/2	0.004
11	929/2/6/3	0.004
12	929/2/6/4	0.001
13	929/2/6/5	0.004
14	929/2/6/6	0.004
15	929/2/6/7	0.004
16	929/2/7/1	0.005
17	929/2/7/2	0.004
18	929/2/7/3	0.004
19	929/2/7/4	0.004
20	929/2/7/5	0.004
21	929/2/7/6	0.004
22	929/2/8/1	0.005
23	929/2/8/2	0.004
24	929/2/8/3	0.004
25	929/2/8/4	0.004

26	929/2/8/5	0.004
27	929/2/8/6	0.004
28	929/2/9/1	0.001
29	929/2/9/2	0.004
30	929/2/9/3	0.004
31	929/2/9/4	0.004
32	929/2/9/5	0.004
33	929/2/9/6	0.004
34	929/2/9/7	0.004
35	929/2/10/1	0.009
36	929/2/10/2	0.008
37	929/2/10/3	0.008
38	929/2/11/1	0.005
39	929/2/11/2	0.004
40	929/2/11/3	0.004
41	929/2/11/4	0.004
42	929/2/11/5	0.004
43	929/2/11/6	0.004
44	929/2/12	0.025
45	929/2/13/1/1	0.008
46	929/2/13/1/2	0.004
47	929/2/13/2/1	0.009
48	929/2/13/2/2	0.004
49	929/2/14/1	0.017
50	929/2/14/2	0.004
51	929/2/14/3	0.004
52	737/2	0.001
53	737/3	0.001
54	737/4	0.001
55	737/5	0.001
56	737/6	0.001
57	737/7	0.001
58	737/8	0.001
59	737/9	0.001
60	737/10	0.001
61	737/11	0.001
62	863/1ज/1/9/1	0.002
63	863/1ज/2/3	0.021
64	863/1ज/2/4	0.007

65	863/1ञ/2/5	0.009
66	863/1ञ/2/6	0.009
67	863/1ञ/2/7	0.009
68	863/1ञ/2/9	0.009
69	863/1ञ/2/10	0.009
70	863/1ब/18	0.022
71	998/1	0.021
72	1000/2	0.031
73	629/1/1	0.046
74	630/1/1	0.017
75	631/2/1	0.023
76	629/2/1	0.046
77	630/2/1	0.017
78	631/3/1	0.021
79	629/3/1	0.048
80	630/3/1	0.016
81	631/4/1	0.023
82	637/1	0.021
83	639/2	0.010
84	640/2	0.015
85	636/2	0.016
86	843/2/1	0.094
87	641/1	0.010
88	642/1/1	0.036
89	679/3	0.030
90	843/1/4	0.031
91	680	0.038
92	682/1	0.025
93	683	0.025
94	714	0.012
95	715	0.010
96	736/1	0.010
97	737/1/1	0.006
98	737/1/2/3	0.006
99	737/1/2/4	0.006
100	739/1/1	0.008
101	739/1/2	0.008
102	741/1/1	0.085
103	842/1	0.010
104	842/2/1	0.200

105	843/1/2	0.031
106	843/1/3	0.032
107	843/3/1	0.094
108	863/1/ञ/1/1/क/1	0.020
109	863/1/ञ/2/1/1	0.020
110	863/2ग/1/1	0.020
111	863/3क/1/1	0.020
112	863/3ख/1	0.020
113	863/4/1	0.031
114	863/1/ब/1/1	0.031
115	902/1/1	0.170
116	928/1/क/1/1/1	0.156
117	928/1/क/2/1/1	0.080
118	928/4/3/1//1	0.080
119	928/4/4/1	0.040
120	929/1/1/1	0.290
121	929/2/1/1	0.280
122	933/1/1	0.021
123	933/2/1	0.020
124	933/3/1	0.020
125	935/2/1	0.042
126	935/1/1	0.043
127	934/1	0.320
128	937/1क/1/1/1	0.112
129	937/1क/3/1/1	0.112
130	995/1	0.090
131	996/1	0.010
132	986/1	0.090
133	997/1/1/1	0.085
134	999/1/1	0.013
135	1000/1/1	0.030
136	1000/2	0.039
137	1001/1/1/1	0.018
138	1001/2	0.015
139	1003/1	0.053
140	1004	0.021
141	1012/1	0.005
142	1005	0.028

143	1006	0.038
144	1013	0.011
145	1014/1/1	0.050
	कुल रकबा–	4.154
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 4.154	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 199–भू–अर्जन–2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **नौनिया**

(घ) क्षेत्रफल– 1.397 हे0

स0क0	खसरा नं0	प्रभावित रकवा (हे0 में)
1	175/1/क/1	0.015
2	175/1/ख/1	0.027
3	175/2/1	0.021
4	174/2/1	0.104
5	139/3/1	0.059
6	169/1/क/1	0.164
7	169/3/1	0.110
8	167/2/1	0.594
9	169/2/1	0.108
10	169/4/1	0.094
11	138/3/1	0.004
12	139/1/1	0.017
13	140	0.020
14	142/2/1	0.020
15	176/2/1	0.040
	कुल रकबा–	1.397
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 1.397	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 200-भू-अर्जन-2020

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -**सतना**

(ख) तहसील- **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम -- **सलैयाकोठार**

(घ) क्षेत्रफल- 0.938 हे0

स.क्र.	आराजी नंबर	प्रभावित रकबा
1	406/2/क/1/1	0.050
2	406/2/ग/1	0.010
3	406/2/घ/1	0.010
4	406/2/ख/1	0.010
5	406/1/1/ख/1/1	0.088
6	406/1/1/क/1/1	0.104
7	409/2/2	0.007
8	409/2/3	0.007
9	409/2/4	0.007
10	409/2/5	0.007
11	409/2/6	0.009
12	409/2/7	0.005
13	409/2/8	0.007
14	411/1	0.233
15	420/2/ब/1	0.021
16	420/2/ज/1	0.065
17	420/1/क/1/3/1	0.015
18	419/1/1	0.005
19	420/1/क/1/4/1	0.030
20	420/1/क/1/1/1	0.030
21	418/1/1	0.004
22	420/1/क/1/2	0.015
23	418/2/1	0.004
24	420/1/क/2/1	0.046

25	420/1/क/3/1	0.046
26	420/2/स/1/2	0.005
27	420/2/स/1/3	0.005
28	420/2/स/1/4	0.005
29	420/2/स/1/5	0.005
30	420/2/स/1/6	0.005
31	420/2/स/1/7	0.005
32	420/2/स/1/8	0.005
33	420/2/स/1/9	0.005
34	420/2/स/1/10	0.005
35	420/2/स/1/11	0.005
36	420/2/स/1/12	0.005
37	420/2/स/1/13	0.005
38	420/2/स/1/14	0.005
39	420/2/स/1/15	0.005
40	420/2/स/1/16	0.005
41	420/2/स/1/17	0.005
42	420/2/स/1/18	0.005
43	420/2/स/1/19	0.005
44	420/2/स/1	0.013
	कुल योग रकबा –	**0.938**
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 0.938	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 201-भू-अर्जन-2020 सतना, दिनांक 7 अगस्त 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -**सतना**

(ख) तहसील- **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम - **तिलौरा**

(घ) क्षेत्रफल- **2.777** हे0

स.क्र.	आराजी नंबर	प्रभावित रकबा हे0 में
1	67/1/1	0.164
2	68/1/1	0.025
3	67/1/2	0.165
4	68/1/2	0.025
5	67/1/3	0.165
6	68/1/3	0.025
7	61/1	0.024
8	65/2/1/1	0.038
9	65/2/1/2	0.037
10	65/2/1/3	0.037
11	65/2/1/4	0.037
12	35/1/क/1	0.146
13	65/1/1	0.210
14	66/1/1	0.016
15	32/1	0.454
16	33	
17	34/1	
18	35/1	
19	31/1/1	0.026
20	32/2/1	0.136
21	35/2/1	
22	32/2/2	0.042
23	35/2/3	
24	32/2/3	0.042
25	35/2/4	
26	32/2/4	0.042
27	35/2/5	
28	32/2/5	0.042
29	35/2/6	

30	32/2/6	0.042
31	35/2/7	
32	19/1	0.401
33	20/1	0.012
34	13/1/1/1	0.307
35	14/1/1	0.019
36	13/1/2/1	0.098
	कुल रकबा – 2.777	
	निजी खाता भूमि योग रकवा 2.777 हे0	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा–खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

क्र. 202–भू–अर्जन–2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इस द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **अतरौरा** कला

(घ) क्षेत्रफल– 1.411 हे0

स0क0	खसरा नं0	प्रभावित रकवा हे0 में0)
1	149/1/1/2	0.016
2	149/1/1/3	0.016
3	149/1/1/4	0.016
4	149/1/1/5	0.016
5	149/1/1/6	0.016
6	149/1/1/7	0.016
7	149/1/1/8	0.016
8	149/1/1/9	0.016
9	149/1/1/10	0.008
10	149/1/1/11	0.008
11	149/1/1/12	0.016
12	149/1/1/13	0.016
13	179/1/1	0.126
14	156/1/1	0.078

15	156/2/1	0.082
16	156/3/1	0.089
17	156/4/1	0.089
18	150/1/1/1	0.003
19	149/2/क/1	0.061
20	149/2/ख/1	0.017
21	128/1	0.056
22	127/1/क/1	0.012
23	138/1/1	0.124
24	137/1/क/1	0.049
25	138/2/1	0.079
26	149/1/1/1	0.226
27	137/1/ख/1	0.038
28	144/1	0.106
	कुल रकबा–	1.411
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 1.411	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 203–भू–अर्जन–2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इस द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **इटमा बघेलान**

(घ) क्षेत्रफल– 2.098 हे0

स0क0	खसरा नं0 (1)	प्रभावित रकवा
1	21/1	0.004
2	22/1	0.080
3	29/1/क/1	0.217
4	29/1/ख/1	0.135
5	29/2/क/1	0.078
6	29/2/ख/1	0.075
7	29/2/ग/1/1	0.075
8	30/2/क/1	0.005
9	70/1/1	0.005
10	71/1/1/1	0.175
11	71/2/1/1	0.303
12	79/2/1	0.021
13	80/1/1	0.044
14	80/2/1/1	0.022
15	80/3/1	0.026
16	81/1/घ/1	0.043
17	81/1/ङ/1	0.031
18	96/1/1	0.141
19	96/2/1	0.131
20	104/1	0.041
21	153/1	0.088
22	154/1/1	0.018
23	154/2/1	0.075
24	156/1	0.031
25	179/1/क/1/1	0.011
26	179/1/ख/1/ख/1	0.011
27	180/1/1	0.055
28	180/1/1/2	0.025
29	180/1/1/4	0.025
30	79/1	0.090
31	70/2	0.007
32	30/1/ख	0.010
	कुल रकबा–	2.098
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 2.098	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 204-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इस द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -**सतना**

(ख) तहसील- **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम - **भाद**

(घ) क्षेत्रफल- 1.740 हे0

स0क0	खसरा नं0	प्रभावित रकबा हे0 में
1	12/1/1	0.141
2	14/1/ख/1	0.089
3	78/1	0.028
4	77/1/ख	0.003
5	79/1	0.038
6	75/1/1	0.026
7	75/2/1	0.026
8	74/2/1	0.183
9	87/1	0.034
11	86/2/1	0.008
12	86/2/2	0.011
13	86/3	0.010
14	86/4	0.008
15	86/5/1	0.008
16	86/5/2	0.004
17	90	0.010
18	88	0.040
19	85/1	0.092
20	84/1	0.028
21	83/1/1	0.038
22	83/2	0.022
23	83/3	0.022
24	83/4	0.022
25	98	0.010
26	99/1	0.020

27	135/1/क/1	0.003
28	136/1/क/1	0.073
29	135/1/ख/1	0.003
30	136/1/ख/1	0.073
31	15/1/ख	0.015
32	133/2/1	0.086
33	134/2/1	0.148
34	76/1	0.084
35	80/1	0.285
36	74/1/ख	0.006
37	74/1/क/1	0.013
38	74/1/क/3	0.014
39	74/1/क/2	0.016
	कुल रकबा–	1.740
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 1.740	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-- उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 205-भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **अतरौरा खुर्द**

(घ) क्षेत्रफल– 1.264 हे0

स0क्र0	खसरा नं0	प्रभावित रकवा हे0 में
1	169/2/1	0.054
2	170/1/1	0.018
3	170/2/1	0.009
4	171/2/1/1	0.046
5	171/1/ख/1	0.061
6	171/2/1/2	0.046
7	156/1	0.068
8	157/1/1	0.005

9	152/1	0.072
10	178/1	0.012
11	177/1	0.143
12	157/2/1	0.003
13	153/1	0.021
14	154/1/1	0.185
15	180/1/ख/1	0.144
16	185/1	0.377
	कुल रकबा–	1.264
	निजी खाता भूमि योग रकवा– 1.264	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर–सतना, रीवा–सिंगरौली, महोबा– खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.